भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 742
दिनांक 29नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी-सह-क्रेच-केंद्र

742. श्री राजू बिष्ट:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2009 तक देश भर में आंगनवाड़ी-सह-क्रेच-केंद्रों की स्थापना से किस प्रकार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में वृद्धि होगी तथा इससे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा;

(ख) छोटे बच्चों की देखभाल और शैक्षिक विकास में सहायता के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं के साथ क्रेच को एकीकृत करने के पीछे क्या उद्देश्य है;

(ग) यह पहल महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ाने में किस प्रकार योगदान देगी;

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि ये केंद्र विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों विशेषकर दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में इस प्रकार स्थापित किए जाएं कि वे परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें; और

(ड.) सरकार बाल विकास परिणामों तथा महिलाओं के रोजगार पर इनके प्रभाव के मामले में इन केंद्रों की सफलता की निगरानी और मूल्यांकन किस प्रकार करेगी?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): महिलाओं की शिक्षा, कौशल और रोजगार हेतु सरकार की निरंतर पहल के परिणामस्वरूप उनके रोजगार के अवसर बढ़े हैं और अब अधिक से अधिक महिलाएं घर के

अंदर या बाहर काम करके लाभकारी रोजगार प्राप्त कर रही हैं। बढ़ते औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण भी शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। पिछले कुछ दशकों में एकल परिवारों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार ऐसी कामकाजी महिलाओं के बच्चे, जिन्हें पहले काम के दौरान संयुक्त परिवारों से सहायता मिलती थी, उन्हें अब डे केयर सेवाओं की आवश्यकता है जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सुरक्षा प्रदान करती हैं। उचित डे-केयर सेवाओं की कमी अक्सर महिलाओं को बाहर जाकर कार्य करने से रोकती है। इसलिए संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों की कामकाजी महिलाओं के लिए डे केयर सेवाओं/क्रेच की बेहतर गुणवत्ता और पहुंच की तत्काल आवश्यकता है।

कामकाजी माताओं को अपने बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए पालना के घटक के माध्यम से डे-केयर क्रेच सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। क्रेच सेवाएँ अब तक घरेलू काम के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली बाल देखभाल जिम्मेदारियों को औपचारिक बनाती हैं। देखभाल कार्य को औपचारिक बनाने से सतत विकास लक्ष्य 8 - सभ्य कार्य और आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए "सभ्य कार्य अभियान" का समर्थन मिलता है। इससे अधिकाधिक माताएं अवैतनिक बाल-देखभाल की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर लाभकारी रोजगार करने में सक्षम होंगी।

आंगनवाड़ी केंद्र विश्व की सबसे बड़ी बाल देखभाल संस्थाएं हैं जो बच्चों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं जिससे अंतिम बिंदु तक देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित होती हैं। अपनी तरह के पहले दृष्टिकोण में मंत्रालय ने आंगनवाड़ी सह क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बाल देखभाल की सेवाओं का विस्तार किया है। यह पूरे दिन बाल देखभाल सहायता सुनिश्चित करेगा और सुरक्षित वातावरण में उनकी भलाई सुनिश्चित करेगा। आंगनवाड़ी सह क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी को बढ़ाना है। *पालना* घटक का उद्देश्य बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष की आयु तक) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्ता वाले क्रेच की सुविधा, पोषण संबंधी सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास की निगरानी, टीकाकरण, शिक्षा इत्यादि प्रदान करना है। पालना के तहत क्रेच की सुविधा सभी माताओं को प्रदान की जानी है चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो।

एडब्ल्यूसीसी की स्थापना और संचालन के लिए प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते हैं जो योजना के कार्यान्वयन के लिए अपने संबंधित हिस्से का योगदान देने के लिए भी जिम्मेदार हैं। अभी तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कुल 10,609 एडब्ल्यूसीसी को स्वीकृति दी गई है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 10 एडब्ल्यूसीसी की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें से सभी को मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक इन स्वीकृत एडब्ल्यूसीसी को चालू नहीं किया है।

******